वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/ 333 /2019–20 **अतिमहत्वपूर्ण** दिनांक : 06 नवम्बर, 2019

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
जनपद–गाजीपुर
सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः–दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (अनु0 जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019–20 में अध्ययनरत छात्रों की न्यूनतम 75% की अनिवार्य उपस्थिती वाले छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 3933–37/स0क0/छात्रवृत्ति/2019–20 दिनांक 13.09.2019 (छाया प्रति संलग्न) व अन्य के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छात्र/छात्राओं को 75% या उससे उपर उपस्थिति पूर्ण करने पर ही छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। इस हेतु समस्त संस्थाओं को बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य है।

अतः जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
06/11/19
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर के सूचनार्थ प्रेषित।
2–विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3–अधीक्षक सम्बद्धता को इस आशय से प्रेषित कि गाजीपुर जनपद के समस्त महाविद्यालयो को अपने स्तर से सूचित करे।
4–वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गाजीपुर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक 3933-37 /स0क0/छात्रवृत्ति/2019-20 दिनांक-13/9/19

विषय- दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (अनु0जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 में अध्ययनरत छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थित वाले छात्रों को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी-2192 दिनांक 12.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जों उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली- 2012 यथा संशोधन 2016 के नियम-6 उप नियम (XVIII) में व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद में संचालित होने वाली समस्त संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि समस्त संस्थाएं बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करना सुनिश्चित करें एवं छात्रों की उपस्थिति समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 को निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(जितेन्द्र मोहन शुक्ल)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
गाजीपुर।

21/09/19

पृष्ठांकन सं0 /तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर को अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, गाजीपुर को अवलोकनार्थ।
3. उप निदेशक, समाज कल्याण, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर।

DSW office

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गाजीपुर।